रिट–ए संख्या–3140/2022 गजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2023 के क्रम में शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

(1) श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

(2) श्रीमती गुंजा सिंह, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

(3) श्री सुशील कुमार चौबे, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

बैठक में याची श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा के प्रकरण में श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की भिन्न–भिन्न पदों को मिलाकर 34 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की, की गयी संस्तुति एवं तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 01.05.1987 के क्रम में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश सं0–677/प्रशा0अनु0/1987 दिनांक 18.05.1987 द्वारा पम्प ऑपरेटर के पद पर तदर्थ रूप से की गयी थी। श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 19.05.1987 को चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। उपाध्यक्ष का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी, गाजियाबाद श्री नसीम जैदी को उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिनके आदेश दिनांक 10.07.1987 द्वारा उपरोक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गयी। सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य कर्मचारियो के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0–15222/1987 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.1987 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है–

Till further orders of the court the order terminating the services of the petitioners by order dated 15th july, 1987, a copy of which has been filed as Annexure-IV to the writ petition, shall remain stayed. All those petitioner who have been selected and appointed and whose appointnents have been cancelled in pursuanes of the order dated 10th July, 1987, shall not be deemed to be terminated until further order of this court.

2. मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 12.08.1987 के क्रम में इन्हें नियमित कर्मचारी के समान सेवा लाभ प्राप्त हो रहे थे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 10.11.1989 में श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य कर्मचारियों के पद सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया तथा प्राधिकरण बोर्ड की उक्त स्वीकृति को शासन से स्वीकृति हेतु विभिन्न पत्र प्रेषित किये गये।

3. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 10.11.1989 द्वारा पदों का सृजन अपने स्तर से कैसे किया गया? क्या पदों के सृजन की अधिकारिता प्राधिकरण अथवा बोर्ड के पास है?, के संबंध में पूछे जाने पर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पदों के सृजन की अधिकारिता प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण बोर्ड के पास नहीं है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 10.11.1989 द्वारा किया गया पदों का सृजन नियम विरूद्ध

था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त सृजित पदों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभिन्न पत्र शासन को प्रेषित किये गये थे।

4. क्या प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सृजित उक्त पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी? इस संबंध में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सृजित उक्त पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

5. शासन के आदेश संख्या–02/आठ–6–11–124ई/2010 दिनांक 04.01.2011 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–वे0आ0–2–2063/दस–54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 08.09.2010 के क्रम में निर्गत किया गया था। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 में निम्न प्राविधान किया गया थाः–

''प्रदेश के राजकीय विभागों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए **तात्कालिक** प्रभाव से विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।''

6. रिट याचिका सं0–15222/1987 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2017 को निम्नवत आदेश पारित किय गयेः–

Initially the writ petition was filed by 30 petitioners. By way of supplementary affidavit dated 15.9.2015 it is pointed out that only 21 petitioners are surviving today, namely, petitioners no. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 and 30. Shri Devi Prasad Misra learned counsel appearing for the petitioner submits that even after filing of the supplementary affidavit some of the petitioners have also died.

By means of this writ petition the petitioners are claiming regularization, some of the petitioners on Class-III post and some on Class-IV post, in Ghaziabad Development Authority.

It is claimed that the petitioners were engaged on daily wage basis as well as work charge basis on various dates from 1983 onwards. The status and dates of their engagement have been shown in paragraph 3 of the supplementary affidavit dated 4.5.2016.

Learned counsel for the petitioners submits that the Government Order dated 4.1.2011, which is filed an Annexure 9 to the supplementary affidavit filed on 15.9.2015, provides for creation of posts for regularization of daily wagers and work charge employees outside the centralized service in Ghaziabad Development Authority who have been working prior to 29.6.1991.

The petitioners' services were terminated by passing an order that their services are no longer required. One of such order has been filed as Anenxure 4 to the writ petition, i.e. order dated 15.7.1987. Such orders were passed in respect of most of the petitioners which led to filing of this writ petition and this Court vide its order dated 12.8.1987 granted an interim order and on the basis of said interim order the petitioners continued. However, it appears that during the pendency of the writ petition numbers of petitioners died or no longer interested in pursuing the matter.

At this stage the interest of justice would subserve that in case the Government Order dated 4.1.2011 is still in operation, the claim of the petitioners for regularization be considered in accordance with law.

With the aforesaid observation, the writ petition is disposed of.

The present order will be applicable to only such petitioners who are still surviving and are still working.

Order Date :- 6.2.2017

7. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–वे0आ0–2–2063/दस–54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 08.09.2010 के क्रम में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने हेतु अधिसंख्य पदों के सृजन हेतु शासन द्वारा प्रस्ताव माँगा गया था। तत्क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में शासन के आदेश संख्या–02/आठ–6–11–124ई/2010 दिनांक 04.01.2011 द्वारा विभिन्न श्रेणी के कुल 616 अधिसंख्य पद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु सृजित किये गये थे।

क्या उक्त कुल 616 स्वीकृत अधिसंख्य पदों के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उपर्युक्त 34 कर्मचारी शामिल थे?, के संबंध में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 616 अधिसंख्य पदों के सृजन हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में याची श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा सहित उपर्युक्त 34 कर्मचारियों के नाम सम्मिलित नहीं थे।

8. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति 1987 में की गयी थी तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने का प्राविधान था, तो उक्त 616 पदों के साथ श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा शासन को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया? इस संबंध में पूछे जाने पर श्री सुशील कुमार चौबे, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 10.11.1989 को श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि के पदों का सृजन किया गया था, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि को विनियमित माना गया, जिसके कारण पद नाम सहित अधिसंख्य पदों के सृजन का प्रस्ताव उक्त 616 पदों के प्रस्ताव के साथ शासन को नहीं भेजा गया।

9. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि के पदों के सृजन का प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण बोर्ड में रखा गया तथा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उनके पदों का सृजन भी कर दिया गया, वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इन्हें इसलिये शामिल नहीं किया गया क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उन्हें विनियमित मान लिया। उपर्युक्त सारे नियम विरूद्ध निर्णय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये, अब इसमें शासन कैसे दोषी है? इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि रिट याचिका सं0–15222/1987 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2017 के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा सहायक केयर टेकर के 01, पम्प ऑपरेटर के 01 एवं इलैक्ट्रीशियन के 03 अधिसंख्य पदों की स्वीकृति शासन से प्राप्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2017 की प्रति संलग्न करते हुए पत्र दिनांक 21.08.2017 प्रेषित किया गया, परन्तु पद की स्वीकृति शासन से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा

संज्ञान में लाया गया कि प्राधिकरण का उक्त पत्र दिनांक 21.08.2017 कार्यालय अभिलेखों के अनुसार अनुभाग में प्राप्त होना प्रतीत नहीं हो रहा है।

10. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21.08.2017 के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कोई अनुस्मारक पत्र शासन को भेजा गया है?, के संबंध में पूछे जाने पर श्री सुशील कुमार चौबे, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि महोदय, उक्त पत्र दिनांक 21.08.2017 के पश्चात् कोई अनुस्मारक शासन को प्रेषित नहीं किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21.08.2017 के पश्चात् कोई पत्र शासन को प्रेषित नहीं किया गया तथा रिट याचिका संख्या–3140/2022 गजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये गये प्रतिशपथ पत्र में प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित होने का उल्लेख किया गया है, यदि इस संबंध में शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित थी, तो यह तथ्य शासन के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया? इस संबंध में श्रीमती गुंजा सिंह, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया कि महोदय, प्राधिकरण से गलती हुई है तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

11. बैठक में हुये विचार–विमर्श में यह पाया गया कि:–

(क) श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि के पद सृजन का प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण बोर्ड में रखा गया, जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 10.11.1989 को स्वीकृत कर दिया गया, जबकि प्राधिकरण बोर्ड इसके लिए सक्षम नहीं है।

(ख) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित 616 कार्मिकों के अधिसंख्य पदों के सृजन विषयक प्रस्ताव में श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि का नाम इसलिये सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि उस समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि को नियमित कार्मिक माना गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार शासन के आदेश दिनांक 04.01.2011 द्वारा विभिन्न श्रेणी के कुल 616 अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया।

(ग) श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि के पदों के सृजन तथा उन्हें नियमित कर्मचारी मानते हुए उनका प्रस्ताव शासन को उपलब्ध न कराये जाने का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय नियम विरूद्ध था।

(घ) रिट याचिका सं0–15222/1987 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के पश्चात् पत्र दिनांक 21.08.2017 शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया, किन्तु इस संबंध में पुनः कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किया गया। रिट याचिका संख्या–3140/2022 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.01.2023 को दाखिल प्रतिशपथ पत्र में प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस संबंध में शासन को कोई सूचना नहीं दी गयी।

(ड.) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 में निम्न प्राविधान किया गया था:–

''प्रदेश के राजकीय विभागों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए **तात्कालिक** प्रभाव से विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।''

वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को विभिन्न श्रेणी के 616 पदों का कार्मिकों के नाम सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के कुल 616 अधिसंख्य पदों की स्वीकृति का आदेश कार्मिकों के नाम से जारी किया गया है, जिसके प्रस्तर–3 व 4 में निम्नवत उल्लेख किया गया हैः–

.....(3) उक्त अधिसंख्य पद के धारको द्वारा किसी अन्य विभाग में जाने, मृत्यु होने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने या नियमित पदों पर समायोजित होने के पश्चात् उक्त अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(4) भविष्य में प्राधिकरणों के लिये चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन नहीं किया जायेगा।

12. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नाम सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 616 पदों के सृजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। शासन स्तर से नाम सहित पदों की स्वीकृत इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि कार्मिक की मृत्यु या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अतः वर्तमान में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.01.2011 के आलोक में शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार विचार–विमर्श के आलोक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

(1) प्रश्नगत प्रकरण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा उनके बोर्ड द्वारा पदों के नियम विरूद्ध सृजन करने, वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के क्रम में शासन को उपलब्ध कराये गये विभिन्न श्रेणी के 616 पदों के प्रस्ताव के साथ श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा आदि को नियमित कार्मिक मानते हुए उनका प्रस्ताव उपलब्ध न कराने हेतु एवं रिट याचिका सं0–15222/1987 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2017 के पश्चात् प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21.08.2017 के क्रम में शासन को कोई अनुस्मारक पत्र नहीं भेजेने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।

(ग) रिट याचिका संख्या–3140/2022 गजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से दिनांक 06.01.2023 को दाखिल प्रतिशपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है, जिसके कारण असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.08.2017 का न कोई अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया और न ही उक्त प्रतिशपथ पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल करने के पश्चात् प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया गया। अतः प्राधिकरण की ओर से उक्त प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने वाले विशेष कार्याधिकारी श्रीमती गुंजा सिंह का अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम–10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण शासन द्वारा प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाय एवं इस

हेतु दोषी अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

(2) चूंकि प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–3872/आठ–6–10–124ई/2010 दिनांक 10.09.2010 द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के क्रम में प्रस्ताव माँगा गया था, उस समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छाचारिता दिखाते हुए प्रश्नगत कार्मिकों को नियमित मान लिया गया तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संख्या–326/प्रशा0अनु0/2010 दिनांक 23.09.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये 616 पदों के प्रस्ताव में प्रश्नगत कार्मिकों का नाम शामिल नहीं था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–02/आठ–6–11–124ई0/2010 दिनांक 04.01.2011 द्वारा 616 अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 04.01.2011 विशिष्ट आदेश था, और उन्हीं व्यक्तियों के लिए आदेश निर्गत किया गया था। उक्त आदेश तत्समय के लिए ही निर्गत किया गया था, जिसके कारण वर्तमान में कोई भी संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2017 के आलोक में याचीकर्तागण, जो वर्तमान में कार्यरत हैं तथा श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, जिन्हें नियमित मानते हुए प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया था, के संबंध में प्राधिकरण अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को 02 कार्य दिवस के भीतर अवगत करायें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

महेन्द्र प्रसाद भारती
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10
संख्या–1210/आठ–10–2023
लखनऊः दिनांकः 30 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. श्रीमती गुंजा सिंह, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. श्री सुशील कुमार चौबे, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।